

**ekx l d; k 81**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1**

प्राथमिक शालाओं में शिक्षा कर्मियों के वेतन हेतु ₹ 300.00 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा कर्मियों के वेतन हेतु ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**ed; 'k'k 2215**

**en Øekd 3**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बजट में शामिल 07 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजनाओं को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को स्थानांतरित किये जाने हेतु ₹100.00 लाख का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया है। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	योजना का नाम	अनुमानित लागत
1.	तखतपुर आवर्धन जल प्रदाय योजना	950.00 लाख
2.	सकरी आवर्धन जल प्रदाय योजना	801.10 लाख
3.	रतनुपर आवर्धन जल प्रदाय योजना	2564.00 लाख
4.	मल्हार आवर्धन जल प्रदाय योजना	757.00 लाख
5.	फिंगेश्वर आवर्धन जल प्रदाय योजना	814.00 लाख
6.	जैजेपुर आवर्धन जल पत्राय योजना	449.00 लाख
7.	शिवरी नारायण आवर्धन जल प्रदाय योजना	950.00 लाख

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**ed; 'k'k 2217**

**en Øekd 4**

पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत नगरीय निकायों को सहायता हेतु ₹17204.64 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,72,04,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**en Øekd 5**

पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत नगरीय निकायों को सहायता हेतु ₹10732.48 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,07,32,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**en Øekd 6**

पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत नगरीय निकायों को सहायता हेतु ₹7062.88 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 70,62,88,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 7**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत ₹ 589.84 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 58984000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत ₹ 192.84 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 19284000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत ₹ 23.46 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2346000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 10

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत ₹ 301.91 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30191000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 11

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत ₹ 120.41 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12041000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 12

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत ₹ 23.21 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2321000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 13

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत ₹ 286.98 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 28698000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 14

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत ₹ 108.25 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10825000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 15

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत ₹ 26.82 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2682000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

₹; '₹'₹ 4215

#### en Øekd 16

नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजनान्तर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु ₹2900.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 29,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।